तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रा.पत्र/टीए/6700/2006/कोटा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री भींयाराम चौधरी वकील प्रार्थी
श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक
श्री बसन्त विजयवर्गीय वकील अप्रार्थी सं.2,3

निर्णय

दिनांकः22.2.19.

यह प्रार्थना पत्र धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत तहसीलदार, सांगोद द्वारा जारी आदेश दिनांक 7.8.06 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस मेंअ तर्क दिया कि विवादित आराजीयात मूर्ति मन्दिर श्री चतुर्भुजनाथ के खाते की कृषि भूमि है। तहसीलदार द्वारा जारी आलौच्य निषेधात्मक आदेश क्षेत्राधिकार बाहर है। ऐसा आदेश धारा 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल उपखण्ड अधिकारी ही जारी कर सकते हैं। जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.टी. 2008(2) पेज 825 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा जारी आदेश वर्ष 2006–07 के लिए मुनाफेदार को मुनाफा काश्त करने की स्वीकृति देते हुए ग्रामवासियों को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अधिनियम में अपील का प्रावधान है। धारा 221 अधिनियम के अन्तर्गत हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2,3 के अपनी बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार का आदेश एक वर्ष के लिए जो अवधि समाप्त हो चुकी है एवं यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो चुका है।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रा.पत्र/टीए/6700/2006/कोटा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। तहसीलदार, सांगोद द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 7.8.06 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह आदेश वर्ष 2006–07 के लिए मन्दिर की भूमि पर मुनाफेदार को काश्त करने की स्वीकृति दी जाने तथा ग्रामवासियों को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जारी किया गया था। यह अवधि समाप्त हो चुकी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील का प्रावधान दिया हुआ है। अतः अधिनियम में जब अपील का प्रावधान है तो धारा 221 अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व मण्डल में निहित शक्तियों का उपयोग किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। चूंकि आलौच्य आदेश जिस अवधि के लिए जारी किया गया था वह अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान प्रकरण में हम ऐसी परिस्थिति नहीं पाते हैं जिससे कि धारा 221 अधिनियम के अन्तर्गत हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में हम यह प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोडूदान देथा)** **सदस्य**	